।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।।

क्रमांकः-ह.1(1)पीएस/हथ/पॉलीसी/2017/ 12641 दिनांक: 07-10-19

स्थाई आदेश संख्या 12 /2019

वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप राज्य की जिला पुलिस इकाईयों आरएसी/एमबीसी बटालियनों तथा अन्य पुलिस इकाईयों द्वारा विभिन्न पदों तथा कार्यों के सम्पादन हेतु आधुनिक हथियारों की वार्षिक चांदमारी करने की स्केल के स्थाई आदेश संख्या 7/2013 में आंशिक संशोधन करते हुये स्थाई आदेश 12/2019 द्वारा निर्धारण किया गया है। तदनुसार वार्षिक चाँदमारी अभ्यास की स्केल निर्धारित की जाती है।

(अ) विभिन्न जिला/यूनिट के लिये वार्षिक चॉदमारी अभ्यास की स्केल अलग-अलग निर्धारित की गयी है। वह निम्न प्रकार है-
परिशिष्ट-ए समस्त जिले राजस्थान **परिशिष्ट-बी** आ.र.एसी./एम.बी.सी., परिशिष्ट-सी कमाण्डो., **परिशिष्ट-डी** एस.टी.एफ., **परिशिष्ट-इ** ई.आर.टी, परिशिष्ट-एफ राज्य विशेष शाखा की स्पेशल सिक्यूरिटी विंग, **परिशिष्ट-जी** राज्य विशेष शाखा के वी.वी.आई.पी. सुरक्षा ड्यूटी हेतु चयनित निरीक्षक/उप निरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक/हैड कानिस्टेबल तथा जिला पुलिस/यूनिट के पीएसओ ड्यूटी हेतु चयनित पुलिसकर्मी, **परिशिष्ट-एच** राज्य विशेष शाखा/अपराध शाखा (परिशिष्ट-एफ एवं जी के अतिरिक्त), **परिशिष्ट-आई** ए.टी.एस. **परिशिष्ट-जे** एस.ओ.जी.**परिशिष्ट-के** राजपत्रित अधिकारी एवं क़माण्डो स्कूल व रेंज शूटिंग प्रतियोगिता/ऑल इण्डिया पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग प्रतियोगिता हेतु एम्यूनेशन की स्केल

(ब) चॉदमारी अभ्यास का रिकॉर्ड संधारित किया जाना आवश्यक है। चॉदमारी के अंक **परिशिष्ट-एल** के अनुसार देय होंगे।

(स) चॉदमारी अभ्यास के लिये निम्नानुसार सामान्य दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार ही पुलिस कर्मियों से वार्षिक चाँदमारी करवाई जाये।
2. चाँदमारी पूरे वर्ष भर नियमित रुप से करवाई जावे तथा एक दिन में अधिकतम 50 पुलिस कर्मियों से चाँदमारी करवाई जाये।
3. चाँदमारी से पूर्व कम से कम तीन दिन प्रत्येक पुलिस कर्मी को चाँदमारी से सम्बन्धित हथियार की जानकारी एवं मस्केटरी प्रेक्टिस करवाई जाये।
4. चाँदमारी में सर्वप्रथम ग्रुपिंग फायरिंग प्रेक्टिस करवाई जाये। ग्रुपिंग फायरिंग प्रेक्टिस में यदि किसी पुलिसकर्मी का 12'' में भी ग्रुप नहीं बने तो उस पुलिसकर्मी से अन्य प्रकार की फायरिंग प्रेक्टिस नहीं करवाई जाये तथा ऐसे पुलिस कर्मियों को चाँदमारी के अभ्यास हेतु एक सप्ताह का मस्केट्री प्रेक्टिस कोर्स करवाकर पुनः फायरिंग प्रेक्टिस करवाई जाये। चाँदमारी में समस्त प्रकार की फायरिंग प्रेक्टिस उपरान्त जो पुलिसकर्मी अनुत्तीर्ण पाये जाये तो उनके लिये चाँदमारी के अभ्यास हेतु विशेष मस्केट्री प्रेक्टिस कोर्स आयोजित किया जाये।
5. चाँदमारी के दौरान प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रत्येक पुलिसकर्मी का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जाये:-

(अ) मार्क्स मैन- जिसके द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये गये हों।
(ब) स्टेण्डर्ड शॉट- जिसके द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किये गये हों।

Contd - 2

(स) उतीर्ण- जिसके द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक व 60 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किये गये हों।

(द) अनुतीर्ण- जिसके द्वारा 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये गये हों। चाँदमारी के दौरान प्राप्त अंकों के आधारपर उपरोक्त वर्गीकरण चाँदमारी रजिस्टर में अंकित किया जाये।

6. निम्न श्रेणी के पुलिस कर्मियों से वार्षिक चाँदमारी नहीं करवाई जाये:-

(अ) यदि कोई पुलिसकर्मी वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग प्रेक्टिस कर लेता है तो उस पुलिसकर्मी से उस वर्ष में चाँदमारी नहीं करवाई जाये।

(ब) महिला पुलिस कर्मियों से उनके गर्भावस्था के दौरान चाँदमारी नहीं करवाई जाये।

(स) किसी भी पुलिसकर्मी से उसके सेवानिवृति के वर्ष में चाँदमारी नहीं करवाई जाये।

7. जिला/यूनिट प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि चाँदमारी के दौरान सम्बन्धित जिला/यूनिट में उपलब्ध सबसे पुराना एम्यूनेशन प्रयोग में लिया जाये। यदि वार्षिक चाँदमारी में पुराने के बजाय नया एम्यूनेशन प्रयोग में ले लिया गया तो उनके लिये सम्बन्धित जिला/यूनिट प्रभारी व्यक्तिगतरुप से जिम्मेदार होंगे।

8. पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार चांदमारी के लिए प्रतिवर्ष आवश्यक एम्यूनेशन की गणना कर केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राज. जयपुर को मांगपत्र प्रेषित किया जावे।

हथियारों की सफाई के सम्बन्ध में निर्देश:-

(अ)चाँदमारी से पहले, चाँदमारी के दौरान व चाँदमारी की समाप्तिपर हथियारों की नियमानुसार सफाई सुनिश्चित की जाये व आरमोंर द्वारा रिकॉर्ड संधारित किया जावे। इस कार्य के लिए आर.आई./क्वाटर मास्टर उत्तरदायी होगें।

(ब)हथियारों की सफाई सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये जो पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का नहीं हो। जिला/यूनिट आरमोरर भी सहयोगी के रूप में साथ रहे।

आरमोंर द्वारा हथियारों की हिस्ट्रशीट निर्धारित प्रोफार्मा में इन्द्राज कर तैयार की जावे।

(स)यदि चाँदमारी से पहले, चाँदमारी के दौरान नियमानुसार सफाई न होने के कारण कोई हथियार या उसका पुर्जा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हथियार से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के अलावा नोडल अधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जाये।

(द)जिला/यूनिट आरमोंर नियमानुसार हथियारों का त्रैमासिक निरीक्षण आवश्यक रूप से करेंगे तथा कमाण्डिंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला/यूनिट आरमोंर से उनके कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कानून व्यवस्था ड्यूटी नहीं ली जावे तथा आरमोंर वर्कशॉप के अलावा अन्य स्थान पर पदस्थापित भी नहीं किया जावे ताकि जिला/यूनिटों के हथियारो का रख रखाव एवं सर्विस एबिलिटी बनी रहे। जिला/यूनिट आरमोंर प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार हथियारों की रिब्राउनिंग/पेन्ट/फॉसफेटिंग अवश्य करेंगे।

(ध) जिला/यूनिट/प्रशिक्षण संस्थान के कमाण्डिंग अधिकारी सर्विस एवं ट्रेनिंग उपयोग के हथियारों का कोत पृथक-पृथक संधारित करवायेंगे तथा कोत प्रभारी के पद पर सामान्य हैड कानि. को ही लगाया जावे एवं कोत प्रभारी के पद पर एक अधिकारी/कर्मचारी को दो वर्ष से अधिक नहीं रखा जावे। स्थाई आदेश में वर्णित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावें।

Contd--3

(न) रिकॉर्ड संधारण के लिये सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है, जिनकी पालना सुनिश्चित की जाये-

1. चॉंदमारी के सम्बन्ध में त्रैमासिक रिपोर्ट संलग्न **परिशिष्ट-एम** एवं **परिशिष्ट-एन** के अनुसार संधारित करेंगे। प्रत्येक त्रैमासिक रिपोर्ट क्रमशः अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी माह में 10 तारीख तक जिला/यूनिट प्रभारी जिला/यूनिट मुख्यालय में संधारित करेंगे।
2. चॉंदमारी के दौरान वर्ष में कुल खर्च हुये विभिन्न प्रकार के एम्यूनेशन की संख्या एवं निर्माण वर्ष का विवरण निर्धारित **परिशिष्ट-ओ** में वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष 10 जनवरी तक केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर में भेजा जाये।
3. जिला/यूनिट के आरमॉर अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि कोत से प्रतिदिन हथियार प्राप्त कर नियमित रूप से मरम्मत कर दैनिक कार्य पंजिका आई.ए.एफ.जेड.2102 में इन्द्राज करेंगे तथा दैनिक कार्य पंजिका को माह में एक बार कमाण्डिगं अधिकारी से सत्यापित करवायेंगे।
4. जिला/यूनिट के सभी हथियार अधिकारीयों/कर्मचारीयों के नामजद किये जावें जिनके रखरखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित की होगी एवं हथियारों की साप्ताहिक सफाई सुश्चित की जावें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

(भूपेन्द्र सिह)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस प्रशासन, कानून-व्यवस्था/प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. प्रधानाचार्य, आरपीटीसी, जोधपुर।
7. निदेशक इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी जयपुर।
8. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय जयपुर/मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय रेल्वे अजमेर/जोधपुर/एटीएस/एसओजी/ सीआईडी एसएसबी/सुरक्षा/अपराध/पुलिस दूरसंचार/केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
10. समस्त कमाण्डेन्ट आरएसी बटालियन मय आईआर बटालियन एवं एमबीसी।
11. समस्त कमाण्डेन्ट पीटीएस मय पीएमडीएस बीकानेर/ कमाण्डों प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर।
12. ए.आई.ए. केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
13. आदेश पत्रावली।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–ए (स्थाई आदेश संख्या /2019)

समस्त जिले राजस्थान

(कमाण्डो के अतिरिक्त)

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन स्केल
निरीक्षक / उपनिरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक	प्रति वर्ष में एक बार	10 राउण्ड 9एमएम पिस्टल / .38" रिवाल्वर (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
हैड कानिस्टेबल	प्रति वर्ष में एक बार	10 राउण्ड 9एमएम पिस्टल / .38" रिवाल्वर से या 10 राउण्ड 9एमएम एसएमजी से या 20 राउण्ड असाल्ट राईफल / इन्सास (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
कानिस्टेबल	प्रति वर्ष में एक बार	20 राउण्ड 7.62एमएम एसएलआर 5 राउण्ड 12 बोर पम्प एक्शन गन जिले की नफरी का 5% (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
जी. आर. पी.	प्रति वर्ष में एक बार	परिशिष्ट ए के अलावा ट्रेन गार्ड : प्रति आरक्षी 10 राउण्ड .38" रिवाल्वर / पिस्टल ऑटो 9एमएम ट्रेन एस्कोर्ट : 10 राउण्ड 9एमएम पिस्टल व 50 राउण्ड एसएमजी
अतिरिक्त हथियार जिनके भी नामजद हों।	प्रति वर्ष में एक बार	50 राउण्ड एलएमजी 20 राउण्ड स्नाइपर राइफल

फायरिंग पोजीशन

9एमएम पिस्टल / ग्लोक पिस्टल / रिवाल्वर

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	15 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एम्ड फायर
4	10 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

9एमएम एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	25 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	ग्रुपिंग फायर
5	15 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	एप्लीकेशन फायर

राइफल एके सीरीज / इन्सास / 7.62एमएम एसएलआर / .303"

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 गज	4X4	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	100 गज	4X4	नीलिंग	एप्लीकेशन फायर
5	200 गज	4X4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर
5	200 गज	22"	स्टेडिंग	स्नेप शूटिंग

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

एल.एम.जी.

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 गज	4X4	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	200 गज	4X4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर रिपिट
5	200 गज	4X4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर ऑटोमेटिक
5	200 गज	22''	लाईंग	स्नेप शूटिंग
10	300 गज	4X4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर ऑटोमेटिक
20	300 गज	4X4	लाईंग	टाइम्ड फायर 40 सैकिण्ड

स्नाइपर राइफल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	300 मीटर	फिगर नं.11	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	300 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एप्लीकेशन फायर
5	300 मीटर	फिगर नं.11	नीलिंग	एप्लीकेशन फायर
5	300 मीटर	22''	स्टेडिंग	स्नेप शूटिंग

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–बी (स्थाई आदेश संख्या /2019)

आरएसी/एमबीसी

(ईआरटी/कमाण्डो एवं एसटीएफ के अतिरिक्त)

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन स्केल
कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर	प्रति वर्ष एक बार	10 राउण्ड 9एमएम पिस्टल/.38" रिवाल्वर
हैड कानिस्टेबल	प्रति वर्ष एक बार	10 राउण्ड 9एमएम एसएमजी से या 20 राउण्ड राइफल असाल्ट राईफल से (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
कानिस्टेबल	प्रति वर्ष एक बार	20 राउण्ड 7.62एमएम एसएलआर/इन्सास (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
अतिरिक्त हथियार जिनके भी नामजद हों।	प्रति वर्ष एक बार	50 राउण्ड एलएमजी

फायरिंग पोजीशन

9एमएम पिस्टल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	15 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एम्ड फायर
4	10 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

9एमएम एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	25 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	ग्रुपिंग फायर
5	15 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	एप्लीकेशन फायर

राइफल एके सीरीज/इन्सास/7.62एमएम एसएलआर

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 गज	4x4	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	100 गज	4x4	नीलिंग	एप्लीकेशन फायर
5	200 गज	4x4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर
5	200 गज	22"	स्टेडिंग	स्नेप शूटिंग

एल.एम.जी.

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 गज	4x4	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	200 गज	4x4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर रिपिट
5	200 गज	4x4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर ऑटोमेटिक
5	200 गज	22"	लाईंग	स्नेप शूटिंग
10	300 गज	4x4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर ऑटोमेटिक
20	300 गज	4x4	लाईंग	टाइम्ड फायर 40 सैकिण्ड

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–सी (स्थाई आदेश संख्या /2019)

कमाण्डो

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक/हैड कानि./कानि.	प्रत्येक तीन माह में एक बार	15 राउण्ड ग्लोक पिस्टल
हैड कानिस्टेबल	प्रत्येक तीन माह में एक बार	15 राउण्ड एसएमजी
कानिस्टेबल	प्रत्येक तीन माह में एक बार	20 राउण्ड असाल्ट राइफल/इन्सास (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)

फायरिंग पोजीशन

ग्लोक पिस्टल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	15 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	टाइम्ड फायरिंग 4 सैकिण्ड में
5	10 मीटर	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट
5	15 मीटर	फिगर नं.11	रन एण्ड अटैक	100 मीटर से दौड़ शुरु करके 15 मीटर पर पहुँचकर फायरिंग करेंगे।

एम.पी.– 5

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	30 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	ओटोमेटिक फायर
4	25 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	टाइम्ड फायरिंग 5 सैकिण्ड में
5	20 मीटर	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

राइफल ए.के. सीरीज/इन्सास

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 मीटर	फिगर नं.11	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	100 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एप्लीकेशन फायर
5	100 मीटर	फिगर नं.11	नीलिंग	टाइम्ड फायरिंग 4 सैकिण्ड में
5	200 मीटर	22"	लाईंग	स्नेप शूटिंग

स्नाइपर राइफल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	300 मीटर	फिगर नं.11	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	300 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एप्लीकेशन फायर
5	300 मीटर	फिगर नं.11	नीलिंग	एप्लीकेशन फायर
5	300 मीटर	22"	स्टेडिंग	स्नेप शूटिंग

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–डी (स्थाई आदेश संख्या /2019)

एस.टी.एफ.

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन स्केल
कम्पनी कमाण्डर/ प्लाटून कमाण्डर	प्रत्येक छः माह में एक बार	10 राउण्ड 9एमएम पिस्टल
हैड कानिस्टेबल	प्रत्येक छः माह में एक बार	10 राउण्ड 9एमएम एसएमजी से या 20 राउण्ड राइफल असाल्ट राईफल से (जो हथियार नामजद है उसीसे फायर किया जाये)
कानिस्टेबल	प्रत्येक छः माह में एक बार	20 राउण्ड राइफल 7.62एमएम एसएलआर/इन्सास

फायरिंग पोजीशन

9एमएम पिस्टल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	15 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एम्ड फायर
4	10 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

9एमएम एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	25 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	ग्रुपिंग फायर
5	15 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	एप्लीकेशन फायर

असाल्ट राईफल/इन्सास/7.62एमएम एसएलआर

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 गज	4x4	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	100 गज	4x4	नीलिंग	एप्लीकेशन फायर
5	200 गज	4x4	लाईंग	एप्लीकेशन फायर
5	200 गज	22"	स्टेडिंग	स्नेप शूटिंग

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–ई (स्थाई आदेश संख्या /2019)

ई. आर. टी.

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर/हैड कानि./कानि.	प्रत्येक तीन माह में एक बार	24 राउण्ड ग्लोक पिस्टल
प्लाटून कमाण्डर/हैड कानि.	प्रत्येक तीन माह में एक बार	24 राउण्ड एसएमजी
कानिस्टेबल	प्रत्येक तीन माह में एक बार	72 राउण्ड असाल्ट राईफल
अतिरिक्त हथियार जिनके भी नामजद हों मय सहायक के।	प्रत्येक तीन माह में एक बार	18 राउण्ड स्नाइपर राइफल
	प्रति वर्ष एक बार	दो ग्रेनेड ए.जी.एल.

फायरिंग पोजीशन

क्र. सं.	हथियार	दूरी मीटर	पोजीशन	टारगेट प्रकार (सर्किल)	मापदण्ड (प्रति परीक्षण 06 राउण्ड)			
					डेलीबरेट फायर		ऑन टाइम फायर (1 मिनिट)	
					अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक
1	ग्लोक पिस्टल	15	स्टेडिंग	6 एवं 3 इंच	18	15	18	12
2	ग्लोक पिस्टल	10	बैटल क्रोच	6 एवं 3 इंच	18	15	18	12
3	एम.पी.– 5	30	स्टेडिंग	9 एवं 6 इंच	18	15	18	12
4	एम.पी.– 5	20	बैटल क्रोच	9 एवं 6 इंच	18	15	18	12
5	ए.के. सीरीज	50	स्टेडिंग	1.5X1 फुट	18	15	18	12
6	ए.के. सीरीज	50	नीलिंग	1.5X1 फुट	18	15	18	12
7	ए.के. सीरीज	50	लाईंग	1.5X1 फुट	18	15	18	12
8	ए.के. सीरीज	100	स्टेडिंग	1.5X1 फुट	18	12	18	10
9	ए.के. सीरीज	100	नीलिंग	1.5X1 फुट	18	12	18	10
10	ए.के. सीरीज	100	लाईंग	1.5X1 फुट	18	12	18	10
11	स्नाइपर राइफल	300	स्टेडिंग	1.5X1 फुट	18	15		
12	स्नाइपर राइफल	300	नीलिंग	1.5X1 फुट	18	15		
13	स्नाइपर राइफल	300	लाईंग	1.5X1 फुट	18	15		

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–एफ (स्थाई आदेश संख्या /2019)

राज्य विशेष शाखा की स्पेशल सिक्यूरिटी विंग

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
राज पत्रित अधिकारी / निरीक्षक / उप निरीक्षक / सहायक उप निरीक्षक	प्रत्येक तीन माह में एक बार	20 राउण्ड ग्लाक पिस्टल से
हैड कानिस्टेबल	प्रत्येक तीन माह में एक बार	20 राउण्ड एसएमजी के

फायरिंग पोजीशन
ग्लोक पिस्टल / एमपी–5 के

राउण्ड	रेंज	टारगेट	समय	विवरण
5	10 मीटर	फिगर नं.2	एक समय	ग्रुपिंग फायर
5	15 मीटर	फिगर नं.2	एक समय	एप्लीकेशन फायर
5	15 मीटर	फिगर नं.2	15 सैकिण्ड	एप्लीकेशन फायर
5	15 मीटर	फिगर नं.2	75 सैकिण्ड	100 मीटर से दौड़ शुरु करके 15 मीटर पर पहुँचकर फायरिंग करेंगे।

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–जी (स्थाई आदेश संख्या /2019)

राज्य विशेष शाखा के वी.वी.आई.पी. सुरक्षा ड्यूटी हेतु चयनित निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक/हैड कानिस्टेबल तथा जिला पुलिस/यूनिट के पी.एस.ओ. ड्यूटी हेतु चयनित पुलिसकर्मी

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक/हैड कानिस्टेबल/कानिस्टेबल	प्रत्येक वर्ष में एक बार	20 राउण्ड पिस्टल ऑटो/ग्लोक 9एमएम या 15 राउण्ड एसएमजी से (केवल उसी हथियार से फायर करवाया जाये जो अधिकारी सुरक्षा ड्यूटी के समय काम में लेते हैं)

फायरिंग पोजीशन

पिस्टल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	समय	विवरण
5	10 मीटर	फिगर नं.2	एक समय	ग्रुपिंग फायर
5	15 मीटर	फिगर नं.2	एक समय	एप्लीकेशन फायर
5	15 मीटर	फिगर नं.2	15 सैकिण्ड	एप्लीकेशन फायर
5	15 मीटर	फिगर नं.2	75 सैकिण्ड	100 मीटर से दौड़ शुरु करके 15 मीटर पर पहुँचकर फायरिंग करेंगे।

एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	30 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	ऑटोमेटिक फायर
4	25 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	टाइम्ड फायरिंग 5 सैकिण्ड में
5	20 मीटर	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–एच (स्थाई आदेश संख्या /2019)

राज्य विशेष शाखा/अपराध शाखा

(परिशिष्ट–एफ एवं जी के अतिरिक्त)

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
निरीक्षक/उप निरीक्षक/ सहायक उप निरीक्षक	प्रति वर्ष में एक बार	10 राउण्ड पिस्टल ऑटो 9एमएम से
मुख्य आरक्षी	प्रति वर्ष में एक बार	10 राउण्ड एसएमजी से
आरक्षी	प्रति वर्ष में एक बार	10 राउण्ड इन्सास/एसएलआर से

फायरिंग पोजीशन

पिस्टल/एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	15 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एम्ड फायर
4	10 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–आई (स्थाई आदेश संख्या /2019)

ए.टी.एस.

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
राजपत्रित अधिकारी	प्रति तीन माह में एक बार	15 राउण्ड ग्लोक पिस्टल (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
निरीक्षक / उप निरीक्षक / पीएसओ	प्रत्येक तीन माह में एक बार	15 राउण्ड ग्लोक पिस्टल / 9एमएम पिस्टल (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
सहायक उप निरीक्षक	प्रत्येक तीन माह में एक बार	15 राउण्ड एसएमजी
हैड कानिस्टेबल	प्रत्येक तीन माह में एक बार	20 राउण्ड असाल्ट राईफल (जो हथियार नामजद हो उसीसे फायर किया जावे)
कानिस्टेबल	प्रत्येक तीन माह में एक बार	10 राउण्ड एसएमजी से या 20 राउण्ड 5.56एमएम इन्सास (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)

फायरिंग पोजीशन

ग्लोक पिस्टल / 9एमएम पिस्टल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	15 मीटर	फिगर नं.11	स्टेंडिंग	टाइम्ड फायरिंग 4 सैकिण्ड में
5	10 मीटर	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट
5	15 मीटर	फिगर नं.11	रन एण्ड अटैक	100 मीटर से दौड़ शुरु करके 15 मीटर पर पहुँचकर फायरिंग करेंगे।

एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
6	30 मीटर	फिगर नं.11	स्टेंडिंग	ओटोमेटिक फायर
4	25 मीटर	फिगर नं.11	स्टेंडिंग	टाइम्ड फायरिंग 5 सैकिण्ड में
5	20 मीटर	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट

असाल्ट राइफल / इन्सास

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 मीटर	फिगर नं.11	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	100 मीटर	फिगर नं.11	स्टेंडिंग	एप्लीकेशन फायर
5	100 मीटर	फिगर नं.11	नीलिंग	टाइम्ड फायरिंग 4 सैकिण्ड में
5	200 मीटर	22"	लाईंग	स्नेप शूटिंग

9एमएम एसएमजी

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	25 गज	फिगर नं.11	स्टेडिंग	ग्रुपिंग फायर
5	15 गज	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	एप्लीकेशन फायर

यू. आर. साहू
महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–जे (स्थाई आदेश संख्या /2019)

एस.ओ.जी.

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
राजपत्रित अधिकारी	प्रति तीन माह में एक बार	15 राउण्ड ग्लोक पिस्टल
निरीक्षक/उप निरीक्षक	प्रत्येक छः माह में एक बार	15 राउण्ड 9एमएम पिस्टल
हैड कानिस्टेबल	प्रत्येक छः माह में एक बार	20 राउण्ड असाल्ट राईफल (जो हथियार नामजद हो उसी से फायर किया जावे)
कानिस्टेवल	प्रत्येक छः माह में एक बार	20 राउण्ड 5.56एमएम इन्सास (जो हथियार नामजद हो उसीसे फायर किया जावे)

फायरिंग पोजीशन
ग्लोक पिस्टल/9एमएम पिस्टल

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	15 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	टाइम्ड फायरिंग 4 सैकिण्ड में
5	10 मीटर	फिगर नं.11	बैटल क्रोच	सिंगल शॉट
5	15 मीटर	फिगर नं.11	रन एण्ड अटैक	100 मीटर से दौड़ शुरू करके 15 मीटर पर पहुँचकर फायरिंग करेंगे।

असाल्ट राइफल /7.62एमएम एसएलआर

राउण्ड	रेंज	टारगेट	पोजीशन	विवरण
5	100 मीटर	फिगर नं.11	लाईंग	ग्रुपिंग फायर
5	100 मीटर	फिगर नं.11	स्टेडिंग	एप्लीकेशन फायर
5	100 मीटर	फिगर नं.11	नीलिंग	टाइम्ड फायरिंग 4 सैकिण्ड में
5	200 मीटर	22"	लाईंग	स्नेप शूटिंग

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–के (स्थाई आदेश संख्या /2019)

राजपत्रित अधिकारी

(परिशिष्ट–आई व जे के अतिरिक्त)

समय अवधि एवं एम्यूनेशन की स्केल

पद	समय अवधि	एम्यूनेशन की स्केल
राज पत्रित अधिकारी समस्त जिला/यूनिट	प्रति वर्ष में एक बार	10 राउण्ड ग्लोक पिस्टल
कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर	प्रति वर्ष	1 कार्ट्रिज 7.62X39mm /5.56mm –272000 नग 2 कार्ट्रिज 9एमएम–140000 नग 3 कार्ट्रिज 7.62 X51एमएम–10000 नग 4 कार्ट्रिज 12 बोर पीएजी– 5000 नग 5 कार्ट्रिज पीपीएच (लाल, हरा, सफेद)– प्रत्येक 20 नग
ऑल इंडिया शूटिंग प्रतियोगिता	प्रति वर्ष	1 कार्ट्रिज 5.56एमएम– 148000 नग 2 कार्ट्रिज 9एमएम– 126000 नग 3 कार्ट्रिज 7.62 X51mm/7.62X39mm– 10000 नग 4 कार्ट्रिज .22 – 50000
जिला/यूनिट रेंज शूटिंग प्रतियोगिता	प्रति वर्ष	1 कार्ट्रिज 5.56एमएम– 3000 नग 2 कार्ट्रिज 9एमएम– 5000 नग 3 कार्ट्रिज 7.62 X51mm/ 7.62X39mm– 6000 नग 4 कार्ट्रिज .38" बोर रिवाल्वर–1000 नग

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

परिशिष्ट–एल (स्थाई आदेश संख्या /2019)

चाँदमारी के अंक

1. ग्रुपिंग फायर

पूर्णांक–50

(अ) फिगर नं.2 व 11

ग्रुप	अंक
2"	50
4"	45
6"	35
8"	30
10"	25
12"	20

(12" से ज्यादा के ग्रुप पर कोई अंक नहीं)

(ब) 4'x4'

ग्रुप	अंक
4"	50
5"	48
6"	46
7"	44
8"	42
10"	36
12"	30

(12" से ज्यादा के ग्रुप पर कोई अंक नहीं)

2. एप्लीकेशन एवं टाइम्ड फायर

प्रत्येक राउण्ड के अधिकतम 10 अंक

(अ) फिगर नं.2	–10,9,8,7,6,5
(ब) फिगर नं.11	–10,8,6
(स) 4'x4'	–10,8,6,4

3. स्नेप शूटिंग

प्रत्येक राउण्ड के अधिकतम 10 अंक

22" – 10,8

4. रन एण्ड अटैक

प्रत्येक राउण्ड के 10 अंक टारगेट पर हिट होने पर

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

(स्थाई आदेश संख्या /2019)

वार्षिक चांदमारी करने वाले पुलिस कर्मियो की संख्या का विवरण

नाम जिला/यूनिट .... तिमाही:– दिनांक ....से ....तक

क्र. सं.	पद	कुल स्वीकृत संख्या	आलोच्य तिमाही में चांदमारी करने वालो की कुल संख्या	आलोच्य तिमाही के अन्त तक वर्ष में चांदमारी करने वालो की कुल संख्या	आलोच्य तिमाही के अन्त तक चांदमारी हेतु शेष संख्या
1	राजपत्रित अधिकारी				
2	पुलिस निरीक्षक				
3	पुलिस उप निरीक्षक				
4	सहायक उपनिरीक्षक पुलिस				
5	हैड कानि0				
6	कानिस्टेबल				

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

(स्थाई आदेश संख्या /2019)

हथियार वाईज चांदमारी का विवरण

नाम जिला/यूनिट .... तिमाहीः— दिनांक ....से ....तक

क्र. सं.	नाम हथियार	आलोच्य तिमाही में चांदमारी करने वाले पुलिसकर्मियों की कुल संख्या	आलोच्य तिमाही में चांदमारी में अनुतीर्ण होने वाले पुलिसकर्मियों की कुल संख्या	वर्ष में आलोच्य तिमाही के अन्त तक चांदमारी करने वाले पुलिस कर्मियों की कुल संख्या	वर्ष में आलोच्य तिमाही के अन्त तक चांदमारी में अनुतीर्ण होने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या
1	9 एमएम पिस्टल				
2	ग्लोक पिस्टल				
3	.38" रिवाल्वर				
4	9 एमएम एसएमजी				
5	एमपी—5				
6	रायफल असाल्ट				
7	रायफल 5.56एमएम इंसास				
8	7.62 एमएम एस.एल.आर				
9	7.62 एमएम स्नाइपर रायफल				
10	7.62 एमएम एलएमजी				
11	12 वोर पम्प एक्शन गन				
12	5.56एमएम एलएमजी				
13	ए.जी.एल				

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस

(स्थाई आदेश संख्या /2019)

चांदमारी में प्रयोग हुये विभिन्न प्रकार के एम्यूनेशन की वार्षिक सूचना

नाम जिला/यूनिट .... वर्ष ....

एम्यूनेशन का प्रकार .... अवधि–दिनांक 1.1. से 31.12. तक

क्र. सं.	एम्यूनेशन का निर्माण वर्ष	वर्ष के आरम्भ में मौजूद एम्यूनेशन की कुल संख्या	वर्ष के दौरान चांदमारी में खर्च एम्यूनेशन की कुल संख्या	वर्ष के अन्त में शेष एम्यूनेशन की संख्या
	योग			

नोटः– 1. प्रत्येक प्रकार के एम्यूनेशन हेतु अलग पृष्ट प्रयोग में लिया जावे ।

2. यदि चांदमारी में पुराना एम्यूनेशन प्रयोग न कर नया एम्यूनेशन प्रयोग में लिया गया तो किसकी गलती से अनियमितता हुई व गलती कुनिन्दा के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, अंकित किया जावे।

यू. आर. साहू
अति. महानिदेशक पुलिस